

फर्द अहकाम

[नियम 26]

उपखण्ड अधिकारी, मालाखेड़ा

मुकाम मालाखेड़ा

नाम रमजीत सिंह बनाम वीर सिंह

ना झावा नं० 1/225 सन् 2022

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
<p>30/07/25 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप० का कार्य स्थगन है। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 03/09/25 को पेश हो।</p> <p><i>(Signature)</i></p>	
<p>03/09/25 वकील का पत्र पेश हुआ। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 29/10/25 को पेश हो।</p> <p><i>(Signature)</i></p>	
<p>29/10/25 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। आइन्दा दिनांक 17/12/25 को पेश हो।</p> <p><i>(Signature)</i></p>	
<p>17/12/25 पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी को आवेजें दिलवाई गईं किन्तु वकीलवादी हीजर अदालत हाजीर आये। वादी स्वयं भी उप० नहीं हैं। अतः वकीलवादी की अनु० में वाद अदम हाजरी अदम पेश्वी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फेरसल होकर नम्बर सेल्म हो। वाद शीर्ष संलग्न मूल वाद रहे।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा (अलवर)</p>	